



District Health Society

[Under State Health Society, Bihar NRHM]
Bhojpur (Ara)
Ph. No. - 06182-244355



E-mail : bhojpur@statehealthsocietybihar.org

फॉन 481818

फॉन 141113

ईपक :

जिला पदाधिकारी-राह-अध्यास,
जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर, आरा

ईपित:

जिला सभ अधीक्षक, भोजपुर, आरा
जिला शिक्षा परियोजना पदाधिकारी, भोजपुर, आरा
जीवित्त निरीक्षक, भोजपुर, आरा
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, भोजपुर
जिला कार्यक्रम प्रबंधक सह नौजवान पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर -
सभी प्रबंध विकास पदाधिकारी, भोजपुर जिला अंतर्गत
सभी प्रबंध शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, भोजपुर जिला अंतर्गत
सभी प्रभागी विधिवत्ता पदाधिकारी, भोजपुर जिला अंतर्गत
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भोजपुर जिला अंतर्गत
सभी धानाध्यास, भोजपुर जिला अंतर्गत

विषय - प्रत्येक स्तर एवं जिला स्तर पर तम्बाकू निरोधक दस्ता (Anti Tobacco Squad) गठन करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आज सभी निर्देशित है कि आप सभी को तम्बाकू निरोधक दस्ता (Anti Tobacco Squad) के सिधे तालिम दिया गया है।

आइ तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की प्रति संलग्न करते हुए आप सभी निर्देशित है कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

07/11/13
जिला पदाधिकारी-राह-अध्यास,
जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर, आरा

तारीख 4/5 11/13 आरा दिनांक 14/11/13

प्रतिपत्रिका : कार्यक्रम निरीक्षक, SBEDS पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिपत्रिका : सभी ब्लॉक स्तरावर पर, भोजपुर जिला अंतर्गत को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिपत्रिका : जिला अधीक्षक, भोजपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिपत्रिका : प्रत्येक के सहायक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनाएं समर्पित।

प्रतिपत्रिका : कार्यक्रम निरीक्षक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनाएं समर्पित।

14/11/13
जिला पदाधिकारी-राह-अध्यास,
जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर, आरा

श्री जयपुर आर

जिला स्वास्थ्य समिति

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष

प्रतिनिधि : कायपालक निदेशक-सह-स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, विहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।
प्रतिनिधि : आर्यकल पटना प्रमंडल, पटना/पूर्विस महाविद्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, विहार, पटना/राज्य सलाहकार, तन्हाकू, निदेशन कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, विहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : कायपालक निदेशक साहिबो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS), 303 बसो की कूल अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनाएं एवं प्रेषित।

प्रतिनिधि : पूर्विस अधीक्षक, जयपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : विहार सदन सह सदस्य सचिव जिला तन्हाकू, निदेशन कोषागार, जयपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : जिला नोडल पदाधिकारी तन्हाकू, निदेशन, जयपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

(मुख्यालय), जयपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : उप विकास आर्यकल, जयपुर/निदेशक, एनईडीपी, जयपुर/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनिर्वाहन, जयपुर/सभी चिकित्सा पदाधिकारी, जयपुर/स्वास्थ्य अधीक्षक, जिला अस्पताल, जयपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, जयपुर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयपुर/जिला अंतर्गत/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जयपुर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जयपुर/जिला अंतर्गत/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईडीपी एचओ), जयपुर/सभी सीडीपीओ, जयपुर/जिला अंतर्गत/सम अधीक्षक, जयपुर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जयपुर/खंड शिक्षा पदाधिकारी, जयपुर/पूर्विस उपपदाधिकार

दिनांक 16.11.12

डायाक - 194 / प्रो. जयपुर

DHS

श्री जयपुर आर

जिला स्वास्थ्य समिति

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तन्हाकू, निदेशन कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 26.11.12 को जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर एवं साहिबो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यशाळा का आयोजन किया गया। कार्यशाळा में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री सागर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर को जिला तन्हाकू, निदेशन कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी, नामित किया जाता है। श्री सागर जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कायम कर तन्हाकू, निदेशन कार्यक्रम का जिले में सकल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जयपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

आदेश

समाहरणालय, जयपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

अतः यालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड की व्यवस्था के सूचकांक रूप से कार्यान्वयन के लिये सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रु0 तक दंडित करना एवं



200/- (दो सौ) तक जुर्माना किया जा सकता है। बोर्ड का प्राकृष निम्नांकित है :-

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा - बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, शौपींग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, समाकष, प्रशिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/रेस्टोरेंट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एम्पान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति एम्पान करते पाया जाता है, तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA-2003 के धारा (4) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्ता को रुपये

सार्वजनिक स्थानों पर एम्पान करते हैं।

पर एम्पान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कार्गन के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यक्षाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्षाला में लिये गये निर्णय के अनुसार समिति, भोजपुर एवं साहिवा इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) के संयुक्त भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 26.11.12 को जिला स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर विमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सार्वजनिक स्थानों पर एम्पान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि एम्पान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत

आदेश

**समाहरणालय, भोजपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)**

सांख्यिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बॉर्डर लगावाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उक्त कायदाहीनता प्रगति प्रतिवेदन अधीनस्थ अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो इसके लिये संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

जिला नोडल पदाधिकारी,
(तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
भोजपुर, आरा

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,
भोजपुर, आरा

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,
भोजपुर, आरा

ज्ञापक - 198 / ग.भ. भोजपुर
DHS

दिनांक 15.11.13

प्रतिनिधि : उप विकास आयुक्त, भोजपुर/निदेशक, एन०ई०पी०, भोजपुर/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनिर्वाहन, भोजपुर/सभी प्रभासी चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पताल, भोजपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, भोजपुर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोजपुर/जिला अंतर्गत/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, भोजपुर/जिला अंतर्गत/जिला कार्यकर्म पदाधिकारी (आई० सी० जी० एस०), भोजपुर/सभी सी०डी०पी०आ०, भोजपुर/जिला अंतर्गत/श्रम अधीक्षक, भोजपुर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भोजपुर/खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/पुलिस उपअधीक्षक (मुख्यालय), भोजपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण, भोजपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, भोजपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : पुलिस अधीक्षक, भोजपुर को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : कार्यपालक निदेशक सांख्यिक इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS), 303 बसती कुं अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनाएं एवं प्रेषित।

प्रतिनिधि : राज्य कार्यकर्म पदाधिकारी, बिहार, पटना/राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यकर्म, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : कार्यपालक निदेशक-सह-स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि : आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी,
(तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
भोजपुर, आरा

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,
भोजपुर, आरा

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति,
भोजपुर, आरा

भोजपुर, आरा
 जिला स्वास्थ्य समिति,
 जिला स्वास्थ्यिकारी-सह-अध्यक्ष

अठारह वर्ष से कम
 आयु वाले व्यक्ति
 को तम्बाकू उत्पादों
 की बिक्री दंडनीय
 अपराध है



तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर विमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संघालित तम्बाकू निषेधण कार्यक्रम व अन्तर्गत दिनांक 26.11.12 को जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर एवं सांशिया इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यशाला में लिये गये निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003 के धारा (6A) के अनुसार सभी तम्बाकू बेचने वाले दुकानों पर यह बौद्ध लगाना अनिवार्य है कि हर अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद क सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परलक्ष्य बैनर का प्राकप निम्न प्रकार है :-

आदेश

समाहरणालय, भोजपुर
 (जिला गोपनीय प्रशाखा)

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा - बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मशाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने दुकान पर या बौद्ध लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं बालान व द्वारा अधिकतम 200/- (दो सौ) रुपये मात्र तक दंड का प्रावधान है।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, भोजपुर/निदेशक, एन०ई०पी०, भोजपुर/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनिर्वाह, भोजपुर/संघी प्रशासकीय अधिकारी, भोजपुर/स्वास्थ्य अधीक्षक, जिला अस्पताल, भोजपुर/संघी प्रशासकीय अधिकारी, भोजपुर/संघी प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोजपुर जिला अंतर्गत/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/संघी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, भोजपुर जिला अंतर्गत/जिला कार्यक्रम भोजपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, भोजपुर/संघी प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोजपुर जिला अंतर्गत/जिला शिक्षा पदाधिकारी (आई० सी० डी० एम०), भोजपुर/संघी सी०डी०पी०ओ०, भोजपुर जिला अंतर्गत/शम अधीक्षक भोजपुर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भोजपुर/खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), भोजपुर को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नौदल पदाधिकारी तन्हाकू नियंत्रण, भोजपुर को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला तन्हाकू नियंत्रण कोषांग, भोजपुर को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, भोजपुर को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : काठपालक निदेशक सोडिया इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS), 303 बसती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचना एवं प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार, पटना/राज्य सलाहकार, तन्हाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं प्रेषित।

प्रतिलिपि : काठपालक निदेशक-सह-स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं प्रेषित।
प्रतिलिपि : आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना को सूचना एवं प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-अधीक्षक
जिला स्वास्थ्य सचिव,
भोजपुर, आरा

के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे।
 सकती है एवं बालन के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक माह
 शिक्षी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा
 शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का विचार लेखन एवं 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तन्हाक उपाद की
 जिला के सभी सरकारी/गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने



60cm x 60 cm (15cm+30cm+15cm)

एवं परीक्षा लगाने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार है :-
 पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तन्हाक के दुरुभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर
 सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तन्हाक उपाद को बेचने वालों
 गये निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तन्हाक उपाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार
 (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यालय का आयोजन किया गया। उक्त कार्यालय में लिये
 को जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर एवं साहिवा इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी
 परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तन्हाक नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 26.11.12
 धूम्रपान से विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर विमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं

आदेश

**समाहरणालय, भोजपुर
 (जिला गौपनीय प्रशाखा)**

